

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : प. ११ (७) - नवीनीय / २०२०

2 SEP 2021

दिनांक २ SEP 2021

आयुक्त,
नगर निगम, समस्त।

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण।
जोधपुर विकास प्राधिकरण।
अजमेर विकास प्राधिकरण।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर पारिषद्/नगर पालिका,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास, समस्त।

विषय :— मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के तहत भवन मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया
में सरलीकरण बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान मॉडल भवन विनियम—2020 राज्य की समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जा चुके हैं। उक्त भवन विनियमों में भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। उपरोक्त क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :—

1. 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो के भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—

I. विनियम 6 (i) अनुसार विनियम 3.0 के अनुसार निर्धारित एस-2 चारदीवारी क्षेत्र एवं विनियम 10.4 व 10.5 के तहत निर्धारित विशेष क्षेत्रों एवं विशेष सड़कों को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में 500 व.मी. क्षेत्रफल तक के सभी उपयोगों के भूखण्डों अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित हो में भवनों का निर्माण पंजीकृत वास्तुविद/तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित निम्न दस्तावेज निर्धारित प्रारूप अ—स में प्रस्तुत करने एवं समस्त देय राशि संबंधित निकायों जमा कराने के पश्चात किया जा सकेगा।

- (i) भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन
- (ii) लीजडीड व साइट प्लान। (स्थानीय निकाय की योजना एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी लीजडीड/पट्टा प्रकरणों के अतिरिक्त भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों में लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार काउंसिलऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)
- (iii) साइट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।

४

- (iv) व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान।
- (v) पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र। (प्रारूप-ब)
- (vi) आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप-अ)
- (vii) लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।
- (viii) भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित देय राशि नगरीय निकाय के बैक खाते में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा होने की रसीद।
- (ix) पंजीकृत तकनीकीविद/आवेदक का भवन विनियम अनुसार देय शुल्क के संबंध में मांग पत्र (प्रारूप-द)

अतः उपरोक्त के अनुसार तकनीकीविद द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिमाण्ड नोट पत्र आवेदक को तथा एक प्रतिलिपि संबंधित नगरीय निकाय को प्रेषित किये जाने पर आवेदक को चालान जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) निर्धारित प्रारूप-य में दिया जाना सुनिश्चित करें।

नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2021 के अनुसार 500 वर्गमीटर तक का पट्टा जारी करते समय निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पट्टे के साथ भूतल + प्रथमतल की स्वीकृति जारी की जावें एवं भूतल + प्रथमतल की स्वीकृति के पश्चात् भवन विनियम के अनुसार देय अधिक मंजिलों की भवन निर्माण स्वीकृति चाहने पर पूर्व में इस मद में जमा राशि का समायोजन करते हुये अतिरिक्त अनुज्ञेय निर्माण हेतु नियमानुसार राशि देय होगी।

2. 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त भू-उपयोग के भूखण्डों (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हेतु 18 मी. की ऊंचाई) के भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

II. **विनियम 6 (ii) अनुसार 500 व.मी. से अधिक एवं 2500 व.मी. क्षेत्रफल तक के समस्त भू उपयोग के भूखण्डों पर विनियम सं. 19 व 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद तथा भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात् देय राशि व आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्तावित भवन के प्रमाणित मानचित्र आदि निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकाय में जमा कराने के पश्चात् भवन निर्माण प्रारम्भ करने हेतु डीम्ड अनुमोदित माना जा सकेगा।**

- (i) भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन।
- (ii) लीजडीड व साईट प्लान। (लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार कांउसिलऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)।
- (iii) साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।
- (iv) समस्त भू उपयोग के भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान।

- (v) प्रस्तावित भवन के सभी मंजिलों के फ्लॉर प्लान, सैक्षण, एलीवेशन, पार्किंग व सर्कुलेशन प्लान, फायर/ग्रीन एरिया आदि दर्शाते हुये भवन मानचित्रों का हस्तांक्षरित मानचित्रों का सैट।
- (vi) पंजीकृत तकनीकीविद् का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का प्रमाण पत्र।
- (vii) लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।
- (viii) भवन मानचित्र अनुमोदन से संबंधित देय राशि नगरीय निकाय के बैक खाते में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा होने की रसीद।

अतः उपरोक्त के क्रम में मुख्य नगर नियोजक राजस्थान द्वारा तकनीकीविदों के पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न प्रारूप 1–18) में डिमाण्ड नोट पत्र आवेदक को तथा एक प्रतिलिपि संबंधित नगरीय निकाय को प्रेषित किये जाने पर आवेदक को चालान जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार दी जाने वाली भवन मानचित्र स्वीकृति मय प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement) निर्धारित प्रारूप—य में दिया जाना सुनिश्चित करें।

3. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 4.2 सक्षम स्तर (Competent Level):—भूखण्ड क्षेत्रफल अनुसार {विनियम सं. 6(i) व 6(ii)} की प्रक्रिया का उपयागे नहीं किये जाने की स्थिति में।

- भूखण्ड क्षेत्रफल 250 व.मी. तक (बेसमेट +भूतल+दो मंजिल) –संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक, (पदस्थापन नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति)।
- भूखण्ड क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (बेसमेट+भूतल+तीन मंजिल) –संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित उप नगर नियोजक, (पदस्थापन नहीं हो पर भवन मानचित्र समिति)।
- भूखण्ड क्षेत्रफल 2500 व.मी. तक (प्राधिकरण में पदस्थापित निदेशक, नगर आयोजना, नगर विकास न्यास में पदस्थापित उप नगर नियोजक (पदस्थापन नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति) एवं अन्य समस्त नगरीय निकायों में भवन मानचित्र समिति।
- 2500 व.मी. क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल एवं 18 मी. से अधिक ऊँचाई के समस्त भूखण्डों के भवन मानचित्रों का अनुमोदन संबंधित प्राधिकरण/ न्यास/ नगरीय निकाय में गठित भवन मानचित्र समिति के स्तर से किया जायेगा।

अतः उपरोक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भूखण्ड क्षेत्रफल 250 व.मी. तक (बेसमेट +भूतल+दो मंजिल) तक के प्रकरणों का निस्तारण नगरीय निकायों में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक के स्तर से एवं भूखण्ड क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (बेसमेट+भूतल+तीन मंजिल) तक के प्रकरणों का निस्तारण नगरीय निकाय में पदस्थापित उप नगर नियोजक के स्तर से स्वीकृति दिया जाना सुनिश्चित करावें।

4. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन विनियम, 2020 के विनियम 19 एवं 20 के तहत पंजीकृत तकनीकीविज्ञ भी भवन निर्माण स्वीकृति एवं इन विनियमों के तहत अन्य सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकरण संख्या व अधिकृत मोहर भी उपयोग कर सकेंगे एवं इस आधार पर सम्बन्धित भूखण्डधारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाणित माने जावेंगे।
5. यदि नगरीय निकाय से अनुमोदित मानचित्र ही अपेक्षित है, तो विनियम 4.2 के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना होगा।
6. किसी भवन के भवन निर्माण विस्तार (अतिरिक्त तल आदि)/संशोधन हेतु पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा पूर्व निर्भित भवन के मानचित्र एवं नवीन प्रस्तावित विस्तार/संशोधन दर्शाते हुए मानचित्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है।
7. नगरीय निकायों में सहायक नगर नियोजक/नगर नियोजन सहायक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में नगरीय निकाय में पदस्थापित सहायक अभियन्ता को सहायक नगर नियोजक एवं कनिष्ठ अभियन्ता को नगर नियोजन सहायक का कार्यभार दिया जाकर तदानुसार नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
8. किसी आवासीय भूखण्ड पर एक से अधिक ईकाई स्वतंत्र आवासीय ईकाई के रूप में विक्रय हेतु प्रस्तावित की जाती है, तो ऐसे भवन बहु आवासीय ईकाई के भवन माने जायेंगे तथा बहु आवासीय ईकाईयों हेतु विनियम 10.2.1 (स) के अनुसार मापदण्ड रखते हुए अनुज्ञेय होंगे।

~~(मनीष गोयल)~~
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

~~(दीपक नन्दी)~~
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

दिनांक :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. System Analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

~~संयुक्त शासन सचिव—प्रथम~~

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 8.0 (i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेज की चैकलिस्ट

चैकलिस्ट (प्रारूप—अ)

क्र.सं.	विषय	संलग्न
1.	भूखण्ड के Latitude/longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन	
2.	लीजडीड व साइट प्लान। (लीजडीड/स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार कांउसिलऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)	
3.	साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊँचाई व मंजिलों की संख्या।	
4.	भूखण्ड के वर्तमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीविद के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हुए।	
5.	व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान।	
6.	पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र। (प्रारूप-'स')	
7.	आवेदक द्वारा भवन विनियम की पालना बाबत शपथ पत्र। (प्रारूप-'ब')	
8.	लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद।	
9.	मांग-पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क जमा की रसीद (Self Assessment)। (प्रारूप-'द')	
10.	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%) जमा की रसीद।	
11.	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस जमा की रसीद (स्थानीय निकाय विभाग के एक्सीस बैंक खाता सं. 919010091350994 ब्रांच सी-स्कीम जयपुर)।	
12.	मौके पर सैटबैक में भवन विनियमों के विरुद्ध निर्माण होने की दशा में आवेदक द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण स्वयं के द्वारा हटा लिये जाने का शपथ-पत्र।	

नोट : एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों हेतु स्टिल्ट फ्लोर की छत/पोडियम छत से अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई तक एवं अन्य शहरों हेतु स्टिल्ट फ्लोर की छत से/पोडियम अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई तक।

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें आधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो,
हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(100/- रु. नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर)
(प्रारूप-ब)

शपथ-पत्र (अण्डरटेकिंग)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु वर्ष
निवासी पूरे होश हवास में शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:-
1. यह कि प्लाट नम्बर योजना स्थित है, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है, का वैधानिक स्वामित्वधारी हूँ तथा भूखण्ड पर निर्विवाद मेरा कब्जा है, तथा कोई न्यायिक वाद अथवा अवाप्ति की कार्यवाही इस भूखण्ड के संबंध में लंबित नहीं है।
2. यह कि उक्त भूमि पूर्णतया मेरे स्वामित्व की है तथा (निकाय का नाम)/राज्य सरकार की अवाप्ति में नहीं आती है और न ही भूमि आवप्त है।
3. यह कि राज्यादेश अनुसार श्रमिक उपकर राशि श्रम विभाग, जयपुर में नियमानुसार मेरे द्वारा जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. यह कि मेरे द्वारा भूखण्ड पर तहखाना खुदाई एवं निर्माण करवाया जाना है। तहखाना खुदाई व मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी भूखण्डधारियों को किसी प्रकार की हानी एवं क्षति होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। (निकाय का नाम) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा या हानी होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
5. यह कि मेरे द्वारा भवन का निर्माण भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार मापदण्ड रखते हुये (निकाय का नाम) में पंजीकृत तकनीकीविद से तैयार करवाकर किया जावेगा भवन निर्माण में निर्धारित सैटबैक व पार्किंग का प्रावधान रखते हुये किया जावेगा। भवन विनियमों के प्रावधानों अनुसार वर्षा जल संग्रहण, वृक्षारोपण, ठोस कचरा निस्तारण, जलमल निकासी, अग्निशमन आदि प्रावधान रखे जावेगे।
6. यह है कि भवन विनियमों के अनुसार भवन अनुज्ञा संबंधित समस्त शुल्क मेरे द्वारा (निकाय का नाम) में जमा करवा दिया गया है, और कोई शुल्क बकाया होगा तो मेरे द्वारा देय होगा।
7. यह कि मेरे द्वारा किये गये निर्माण में यदि भवन विनियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो (निकाय का नाम) उक्त उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
8. यह कि मेरे द्वारा भवन विनियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ /करती हुं कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रुबरु तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो,

**हेतु भवन विनियम 6.0 (i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र
(प्रारूप-स)**

घोषणा पत्र

- मैं (वास्तुविद/ तकनीकीविद का नाम) जिनका कार्यालय पता.....
.....में स्थित है पूरे होश हवाश में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता हूँ।
1. वास्तुविद/ तकनीकीविद पंजीयन सं.....
 2. भूखण्ड स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं.
 3. भूखण्ड जिस हेतु मानचित्र प्रमाणित किये जा रहे हैं का विवरण :-
 (i) भूखण्ड संख्या
 (ii) योजना का नाम
 (iii) माप
 (iv) क्षेत्रफल
 (v) सड़क की चौड़ाई
 4. भवन के प्रस्तावित मापदण्ड:-
 (i) भवन के प्रस्तावित सैटबैक
 अग्र
 पाश्व प्रथम
 पाश्व द्वितीय
 पीछे
 - (ii) भवन की प्रस्तावित ऊँचाई
 - (iii) मौके पर यदि निर्मित भवन हो तो:-
 (a) प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार निर्धारित सैटबैक छोड़कर समस्त तलों पर किये गये निर्माण का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (b) भवन विनियमों के विपरीत सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण का, जिसे आवेदक द्वारा हटाया जाना है, का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (iv) सभी मंजिलों का सकल निर्मित क्षेत्रफल
 - (v) भवन के प्रस्तावित मंजिलों की संख्या व उनका प्रस्तावित उपयोग
 - (vi) सभी मंजिलों का कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल— बीएआर
 - (vii) बेटरमेंट लेवी हेतु मानक बीएआर से अतिरिक्त बीएआर
 - (viii) प्रस्तावित पार्किंग – कार स्कूटर
 - (ix) रैनवाटर हार्डस्टिंग – प्रस्तावित है/ प्रस्तावित नहीं।
 - (x) वृक्षारोपण का प्रावधान – प्रस्तावित है/ प्रस्तावित नहीं।

**तकनीकीविद के हस्ताक्षर
(मय मोहर पंजीकरण क्रमांक के साथ)**

सत्यापन

मैं (तकनीकीविद) यह सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त भूखण्ड पर भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियमों के तहत तैयार किये गये हैं। मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है एवं भवन मानचित्र तैयार करते समय एवं प्रस्तुत करते समय कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी गई है तथा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(हस्ताक्षर तकनीकीविद)

500 व.मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 व.मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो,
हेतु भवन विनियम 6.0 (i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद/आवेदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र

मांग पत्र (प्रारूप-द)

भूखण्ड का विवरण :-

भूखण्ड संख्या

योजना का नाम

पता

भूखण्ड की माप व क्षेत्रफल

1.	प्रार्थना पत्र शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई – 200/- एक मुश्त मिश्रित/वाणिज्यिक – 500/- एक मुश्त	
2.	जांच शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई – 15/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 1,00,000/-) मिश्रित/वाणिज्यिक – 45/- प्रति वर्गमीटर (अधिकतम राशि 3,00,000/-)	
3.	मानचित्र अनुमोदन शुल्क आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई – प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में x 25/- मिश्रित/वाणिज्यिक भूखण्ड हेतु – प्रस्तावित मंजिलों की संख्या x भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में x 50/-	
4.	वर्षा जल सग्रहण एवं वृक्षारोपण हेतु अमानत राशि भूखण्ड क्षेत्रफल 300 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक 50000/-	
5.	अतिरिक्त बीएआर हेतु बेटरमेंट लेवी आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन ईकाई उपयोग हेतु – आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत मिश्रित/वाणिज्यिक – आवासीय आरक्षित दर का 40 प्रतिशत	
6.	बहुनिवास ईकाई में योजना के आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण राशि (25,000/- रु. प्रति निवास ईकाई)	
7.	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2020 अनुसार देय होने पर फायर सेस 50/- प्रति वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्र पर	
8.	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%)	
9.	भवन विनियमों अनुसार मौके पर बिना अनुमति निर्मित निर्माण हेतु शास्ती (अ) भवन विनियमों के मापदण्डों के अनुरूप निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (बिना स्वीकृति)) (ब) भवन विनियमों के विपरीत निर्माण (भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (बिना स्वीकृति) + अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत (धरोहर राशि))	
	अन्य शुल्क	
	कुल राशि	
	राशि अक्षरे	

तकनीकीविद के हस्ताक्षर

पंजीकृत वास्तुविदों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर स्थानीय
निकाय द्वारा प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)
(प्रारूप-ग)

प्राप्ति स्वीकार की सूचना (Acknowledgement)

आवेदक का नाम
आवेदक का पता

विषयः— आवेदित भूखण्ड सं योजना (नगरीय निकाय
का नाम) हेतु प्रस्तुत भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों
की Acknowledgement बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड सं योजना
.... (स्थानीय निकाय का नाम) के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/
प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित
कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चित्ता
करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के
विनियम संख्या 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार
ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर
सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे भवन विनियमों
के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

सक्षम अधिकारी
पदनाम